

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित कार्य एनिकट निर्माण/2018-19/38590-602 दि. 11.10.19
परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
डूंगरपुर/बांसवाडा।

विषय : एनिकट निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : विकास अधिकारी कुशलगढ जिला बांसवाडा का पत्रांक 2993 दि. 26.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र एवं इस कार्यालय के प्रशासनिक स्वीकृति पत्र क्रमांक 11000-30 दिनांक 30.01.2019 के क्रम में विकास अधिकारी, कुशलगढ जिला बांसवाडा का पत्रांक 2306 दिनांक 28.02.2019 से जारी तकनीकी स्वीकृति एवं जल संसाधन विभाग के अनापत्ति के आधार पर अनुसार कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्यों की कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है -

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

| क्र. स. | एनिकट निर्माण के कार्य का नाम | पंचायत समिति | तकनीकी स्वीकृति | | स्वीकृत राशि |
|---------------|--|--------------|-----------------------------------|-------|---------------|
| | | | क./दि. | राशि | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | गेन्द्रा वाला एनिकट निर्माण ग्रा.पं. पालमाण्डव | दोवडा | 146/7.3.19 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | एनिकट निर्माण कार्य वमासा गांव में गारीया वेला में, वमासा ग्रा.पं. पादरडी बडी | सागवाडा | XEN/NAREGA/ 23/30.08.19 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | एनिकट निर्माणकार्य कलासुआ बस्ती में ग्रा.पं. पादरा | सागवाडा | AEN/PS SAGWARA/ 08/30.08.19 | 14.99 | 14.99 |
| योग | | | | | 44.99 |
| 1 | दिपुस गलिया के खेत के पास एनिकट निर्माण ग्राम जाडी ग्रा.पं. कलिंजरा | कुशलगढ | 371/5.3.19 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | कुढढी वाले नाके पर एनिकट निर्माण ग्राम बस्सी ग्रा.पं. सारण | कुशलगढ | 372/5.3.19 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | एनिकट निर्माण बस्सी ग्राम बस्सी ग्रा.पं.बस्सी | कुशलगढ | 370/5.3.19 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | एनिकट निर्माण काजलिया वाला डाबरा सोखा बिजिया के घर के पास ग्राम महुडा ग्रा.पं. महुडा | कुशलगढ | 369/5.3.19 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | एनिकट निर्माण भुरीपाडा आमलिया माल के पास ग्राम भुरीपाडा ग्रा.प. मोहकमपुरा | कुशलगढ | 531/1.3.19 | 20.00 | 20.00 |
| 6 | एनिकट निर्माण डेटकी के पानी के पास ग्राम धनपुरी ग्रा.पं. उंकाला | कुशलगढ | 364/5.3.19 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | एनिकट निर्माण गौदी वाले नाले पर ग्राम हिम्मतपुरा ग्रा.पं. डूंगरीपाडा | कुशलगढ | 366/5.3.19 | 15.00 | 15.00 |
| योग | | | | | 85.00 |
| महायोग | | | | | 129.99 |

उपरोक्त कार्यों हेतु राशि 129.99 लाख विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 50/2018-19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रु.1200.93 लाख में से देय होगी।


कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

- उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु जल संसाधन विभाग से सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ करें एवं यह सुनिश्चित करें कि अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित होगी।

कृ.पृ.उ.

2. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
3. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी को राशि हस्तांतरित की जाएगी एवं कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे।
7. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य करवाया जावे।
8. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
9. परियोजना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 20728-80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यों की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।
10. कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित कर फोटोग्राफ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय




(अंजली राजोरीया) IAS

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित कार्य नहर निर्माण/2018-19 58590-602 दि. 11.10.19
प्रतिलिपी :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा/डूंगरपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 50/2018.19 दिनांक 16.01.2019 में से परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर को राशि रु. 44.99 लाख एवं परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा को राशि रु. 85.00 लाख हस्तांतरित करावे।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति दोवडा/सागवाडा जिला डूंगरपुर, .../कुशलगढ जिला बांसवाडा।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।


अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721

ई-मेल : comm.tad@gmail.com, Website www.tad.rajasthan.gov.in